दिनांक हुक्म	कार्यवाही	
25/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की इच्छानुसार पर बहस उनका पक्ष सुनी। प्रा.पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शा० प्रा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दाद हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी झालावाड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

तारीख दायरा 12.08.2022

मुकदमा नम्बर 545/प्रार्थना पत्र/2022

गेंदीलाल आ0 जयराम जाति लोधा निवासी मोडी तहसील बकानी ... प्रार्थी

बनाम

1.नाथूलाल आ0 भंवरलाल
2.बिरधीलालआ0 भंवरलाल
3.मोतीलाल आ0 भंवरलाल
4.शिवलाल आ0 भंवरलाल
5.अनार सिंह आ0 शिवलाल
6.बालूराम आ0 देवीसिंह
7.फूलचन्द आ0 मोतीलाल
8.हुकमचन्द आ0 उदालाल
9.फूलचन्दआ0 उदालाल, अकवाम लोधा, निवासियान–मोडी तहसील बकानी
10.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील बकानी ... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानटीनेन्सी एक्ट 1955 एवं
आर्डर 39 रूल 1 व 2 जाप्तादीवानी

उपस्थित :–

1. श्री रामबाबू माहेश्वरी, अभिभाषक वादी
2. श्रीअमितोष आचार्य, अभिभाषक प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25 जनवरी 2023

प्राथर्ना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोड़ी तहसील बकानी की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 नया खाता संख्या 53 पुराना 52 की खसरा संख्या 1952/1235 रकबा 0.1707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1954/1256 रकबा 0.1454 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1956/1316 रकबा 0.1.075 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1958/1320 रकबा 0.3477 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 1960/61 रकबा 0.1707 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1962/991 रकबा 0.1644 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 881 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता–7 कुल रकबा 1.1949 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के एकमात्र खातेदारी व काश्त की आराजी है । उक्त आराजी के पीछे अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के शामलाती खाते जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 की नया खाता संख्या 453 पुराना 426 की खसरा संख्या 59 रकबा 1.2139 हैक्टेयर स्थित है । उक्त दोनों आराजी पास–पास है । प्रार्थना पत्र 1960रकबा 0.1707 हेक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है । अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है । अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 अन्य अप्रार्थीगण 5 लगायत 9 के साथ मिलकर प्रार्थी के खाते की खसरा नम्बर 1960/61 रकबा 0.1707 हेक्टेयर आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर व प्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट कर उस पर से रास्ता निकालना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 का उनके खाते की खसरा नम्बर 59 की आराजी पर जाने का रास्ता प्रार्थीकी आराजी या उसके आस पास रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है फिर भी प्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट कर उसपर जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं । अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता निकाल लिया तो प्रार्थी को सारवान नुकसान होगा जिसकी पूर्ति द्रव्य में नहीं की जा सकती है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया सही है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है जिसका कारण अस्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

की आवश्यकता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे दौराने वाद प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1961/61 रकबा 0.1707 हेक्टेयर भूमि ग्राम मोड़ी तहसील बकानी पर खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता निकालने की कोशिश न करें व ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1960/61 रकबा 0.1707 के संदर्भ में अप्रार्थीगण का संबंध ना होना अस्वीकार है। इस खसरा नम्बर पर स्थित रास्ते अप्रार्थीगण एवं अन्य काश्तकारान उनकी आराजीयात पर आने जाने में उपयोग उपभोग में लेते हैं। उक्त आराजी के सम्बन्ध में इसी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र शिवलाल बनाम गेंदीलाल वगैरह में प्रार्थीगण एवं अनावेदकगण भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये जिनका संबंध जन्मों से चला आ रहा । खसरा नम्बर 1961/61 व 1960/61 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 62 के पश्चिम दिशा की ओर स्थित करीब 12 से 15 फीट कच्चे रास्ते से अप्रार्थीगण एवं उक्त प्रार्थना पत्र के पक्षकार अपनी अपनी आराजीयात पर आते जाते रहे हैं । विशेष कथन किया कि प्रार्थी गलत अभिवचनों पर वास्तविक वस्तु स्थिति के विपरीत वाद लेकर आया है जो चलने योग्य नहीं है । न्यायालय में रास्ते को लेकर 251 (ए) आरटी एक्ट में कार्यवाही लम्बित है । खाता संख्या 453, 198, 520 के अन्य काश्तकार भी खसरा नम्बर 1961/61 रकबा 0.1707 के पूर्वी दिशा में स्थित रास्ते पर होते हुये खसरा नम्बर 59, 78 व अन्य काश्तकार कृषि कार्य हेतु आते जाते है । प्रार्थी व अन्य के द्वारा खड़े किये गये अवरोधों के कारण हल, सामद, बैलगाड़ी, कल्टीवेटर व अन्य उपकरण ले जाना संभव नहीं हो पा रहा है । अतः प्रार्थना पत्र झूंठा व असत्य आधारों पर होने से चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावे ।

हमने बहस वकील फरीकेन सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । वकील वादी ने दौराने बहस तर्क दिया कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 जबरन प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर रास्ता निकालना चाहते हैं इस आराजी से उनका कोई सरोकार नहीं है । आराजी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है अतः अप्रार्थीगण को रोका जाना आवश्यक है तथा वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत रास्ता प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे ।

हम वकील अप्रार्थी द्वारा दौरान बहस दिये गये तर्को से सहमत है । अप्रार्थीगण की ओर से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है । अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं से अप्रार्थीगण वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कृषि कार्य हेतु करते आ रहे हैं । अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायालय उचित नहीं समझता है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.1.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़